

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत.
क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट /
38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/2013-2015"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2026 - भाद्र 20, शक 1948

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 सितम्बर 2026

अधिसूचना

क्रमांक PROJ/2114/2025-HOUSING.— राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत, ग्राम कचना, लाभाण्डी एवं सड्डू, जिला रायपुर में प्रस्तावित नगर विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन की, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी सूचना क्रमांक 3205 दिनांक 08-09-2026 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर

न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.) - 492006

ईमेल : ceordaryp@gmail.com वेबसाइट : www. rdaraipur.cgstate.gov.in

दूरभाष: (0771) 2536188, 2536788

रायपुर, दिनांक 08 सितम्बर 2026

नगर विकास योजना के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

(छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020 के नियम 27(2) एवं प्ररूप - 26 के अनुसार)

क्र. 3205/यो.शा./वि.प्रा./2026.— एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्र. 23 सन 1973) की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम कचना, लाभाण्डी एवं सड्डू तहसील रायपुर के अंतर्गत कुल 95.271 हे. क्षेत्र के लिए नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है -

- (1) रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर
- (2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर
- (3) जिला कलेक्टर, जिला रायपुर
- (4) आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला रायपुर

उसकी प्रति रायपुर विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट <https://rdaraipur.cgstate.gov.in> पर भी उपलब्ध कराई गई हैं।

यह अधिसूचना, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23, 1973) की धारा 50 की उप-धारा (2) के अंतर्गत ग्राम कचना, लाभाण्डी एवं सड्डू तहसील रायपुर के अंतर्गत कुल 95.271 हे. क्षेत्र के लिए नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के आशय की घोषणा संबंधित पूर्व में प्रकाशित छत्तीसगढ़ राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 49 दिनांक 05 दिसंबर 2025 और धारा 50 की उप-धारा क के अंतर्गत उक्त नगर विकास योजना के संशोधित क्षेत्र 95.271 हे. को अधिसूचित करने के लिए अनुवर्ती अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 459 दिनांक 17 अगस्त 2026 के अनुक्रम में हैं।

इस अधिसूचना में यहां प्रकाशित अंतिम भूखण्डों की सूची को भू-स्वामित्व या भू-अभिलेखों के सत्यापन के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ शासन में राजस्व विभाग के अद्यतन भू-अभिलेखों के अनुसार सत्यापन के अधीन होगा। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23, 1973) श्री धारा 50 उप-धारा (8) के अधीन योजना को अंतिम रूप देने के बाद अंतिम भूखंडों का आबंटन और उसके बाद अंतिम भूखंड का कब्जा, भूस्वामी के अद्यतन और प्रमाणित भू-स्वामित्व अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उस स्कीम से प्रभावित किसी व्यक्ति से इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस पर रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।

हस्ता./-

(अवनीश कुमार शरण)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

रायपुर विकास प्राधिकरण

रायपुर (छ.ग.)